उत्तराखण्ड भूसम्पदा नियामक प्राधिकरण

(Uttarakhand Real Estate Regulatory Authority)

5th फ्लोर, राजीव गाँधी बहुउद्देश्यीय कॉम्पलैक्स, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून

पत्रांकः– 1219 /रेरा–02/2017–18 दिनांकः– 08.11.2023

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड भू–सम्पदा नियामक प्राधिकरण की सत्रहवीं बैठक दिनांक 22.01.2021 के कार्य बिन्दु संख्या 17.2 में लिए गये निर्णय के अनुक्रम में दिनांक 16.06.2021 को जारी कार्यालय आदेश संख्या 135/रेरा–02/2017–18 के द्वारा ऐसी रियल इस्टेट परियोजनाऐं जिनके सम्बन्ध में अधिनियम लागू होने की तिथि (01.05.2017) के उपरान्त सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी से समापन (Completion) प्रमाण पत्र जारी हो चुका हो परन्तु उन परियोजनाओं की ईकाईयां विक्रय हेतु अभी शेष रह गई हों, ऐसे मामलो में परियोजना की पंजीकरण अवधि को नियत शुल्क भुगतान सहित संप्रवर्तक के आवेदन और इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी समापन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति तथा परियोजना समापन के सम्बन्ध में परियोजना के वास्तुविद, अभियन्ता और चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, परियोजना की ईकाईयाँ विक्रय हेतु शेष रहने तक, यथास्थिति अग्रेत्तर एक–एक वर्ष अथवा उसके अंश अवधि के लिए बिना मानचित्र की वैधता के प्राधिकरण द्वारा विस्तारित किये जाने अथवा जारी रखने का निर्णय लिया गया था।

2– प्राधिकरण की 26 वीं बैठक दिनांक 04.08.2023 में सम्यक् विचारोपरान्त 17 वीं बैठक के उपरोक्त निर्णय को निम्नानुसार अतिक्रमित कर दिया गया हैः–

"प्राधिकरण में पंजीकृत किसी भी रियल इस्टेट परियोजना का सक्षम प्राधिकारी से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने तथा प्राधिकरण में ससमय प्रस्तुत करने की स्थिति में संबधित परियोजना अंतर्गत मात्र विक्रय प्रयोजनार्थ अवधि विस्तार लेने की बाध्यता नही होगी तथा संबधित परियोजना पूर्ण मानी जायेगी।

ऐसी परियोजनाओं, जिनके 'पूर्णता प्रमाण पत्र' हेतु परियोजना की वैध समयावधि अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया हो, परन्तु संबधित प्राधिकारी द्वारा 'पूर्णता प्रमाण पत्र' जारी न किया गया हो तो सम्प्रवर्तक/प्रमोटर को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु नियत सभी शर्तों को पूर्ण करते हुए आवेदन सभी प्रासंगिक/अनिवार्य अभिलेखों के साथ सक्षम प्राधिकारी को विधिवत जमा किया गया है। तदोपरान्त अधिकतम 04 माह की अवधि के अंदर संबधित प्रमोटर को पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा"।

(एस0 एल0 सेमवाल)
सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड भू–सम्पदा नियामक प्राधिकरण देहरादून।
2. मा0 सदस्यगण, उत्तराखण्ड भू–सम्पदा नियामक प्राधिकरण देहरादून।
3. मा0 न्याय निर्णायक अधिकारी, उत्तराखण्ड भू–सम्पदा नियामक प्राधिकरण देहरादून।
4. समस्त सम्बन्धित विकासकर्ता/प्रमोटर्स।
5. गार्ड फाईल।

08/11/2023
(एस0 एल0 सेमवाल)
सचिव